No.P-15025/27/2014-DGQC

GOVERNMENT OF INDIA

Ministry of Health and Family Welfare

New Delhi, dated 11th September, 2014

VACANCY CIRCULAR

Appointment of Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)

The Government of India proposes to fill up the post of Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India (Food Authority). The Food Authority was established as a Statutory body under the Food Safety and Standards Act, 2006 (No.34 of 2006) for laying down science based standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import, to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption. The Chairperson of the Food Authority is to perform such duties and functions and exercise such powers as prescribed under the Food Safety and Standards Act, 2006 and the Rules and Regulations made thereunder. The Head Office of the Food Authority is in Delhi.

Scale of pay : ₹80,000 per month (Fixed) plus allowances as per guidelines issued by the Department of Personnel and Training (DoPT).

Eligibility : Applicants for selection to the office of Chairperson, Food Authority shall be persons of eminence in the field of Food Science or persons from the administration who have been associated with the subject and is either holding or has held the position of not below the rank of Secretary to the Govt. of India. Relevant work experience related to Central / State Regulatory Bodies would be a desirable qualification for the position.

Age limit and tenure : The Chairperson shall hold office for a term of three years from the date on which he / she enters upon the office and shall be eligible for re-appointment for a further period of three years or till he / she attains the age of 65 years whichever is earlier.

Other terms and Conditions of service : Other terms and conditions of service shall be such as may be prescribed by the Central Government from time to time.

Applications are invited from citizens of India who fulfil the eligibility criteria in the given proforma, which may also be downloaded from the website www.mohfw.nic.in and www.persmin.nic.in, together with self-attested copies of supporting documents so as to reach Shri Rakesh S. Nayal, Under

Secretary to the Government of India (**Room No.752-A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi -110108**) on or before **07/11/2014** The Government of India will have the discretion to consider the candidature of any person who has not applied in response to newspaper advertisement. The Government also reserves the right to reject any / or all applications received for the office of Chairperson without assigning any reason.

PROFORMA

Appointment to the post of Chairperson of the Food Authority

1. Name (in block letters)
2. Date of Birth (in Christian era)
3. Address
   Residence :
   Office :
4. Telephone Nos. (Residence/Office/Mobile)
5. Fax No. / e-mail id:
6. Academic Qualifications:
7. Professional Qualifications:
8. Professional/Research experience in food Safety/ Standards/Quality Control if any:
9. Details of awards /other national/international recognition received, if any:
10. Other major achievements:
11. Membership of professional bodies/associations
12. Details of national/international conference attended
13. Any other information

****

सं.पी-15025/27/2014-डीएफक्यूसी
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11, सितंबर, 2014

रिक्ति के संबंध में परिपत्र

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ एस एस ए आई) के अध्यक्ष की नियुक्ति

भारत सरकार भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (खाद्य प्राधिकरण) के अध्यक्ष के पद को भरने का प्रस्ताव करती है। खाद्य प्राधिकरण को मनुष्यों के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों हेतु विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने तथा आयात को विनियमित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 की सं. 34) के तहत सावंधिक निकाय के रुप में स्थापित किया गया था। खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष को ऐसे दायित्वों एवं कार्यों को निष्पादित करना होता है तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना होता है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके तहत नियम एवं विनियम के तहत विहित हों।

वेतन मानः- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति माह 80,000 रुपए (नियत) और भत्ते।

योग्यताः- खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष के कार्यालय में चयन के लिए आवेदकों को खाद्य विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए या प्रशासन के ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो इस विषय से जुड़े हों और भारत सरकार में सचिव के पद पर कार्यरत हों या उस पद पर रह चुके हों। केन्द्रीय/राज्य विनियामक निकायों से संबंधित प्रासंगिक कार्य अनुभव इस पद के लिए वांछनीय योग्यता होगी।

आयु सीमा एवं कार्यकालः- अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए उस तारीख से कार्यालय में पदासीन रहेंगे जिससे वे कार्यालय में पद संभालेंगे/संभालेंगी तथा वे अगले तीन वर्षों के लिए या 65 वर्ष की आयु के होने तक जो भी पहले हो, के लिए पात्र होंगे/होंगी।

सेवा के अन्य नियम व शर्तेः- सेवा के अन्य नियम व शर्तें ऐसी होंगी जिन्हें समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया जाएगा।

उन भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जो दिए गए प्रोफार्मा के मानदंडों को पूरा करते हैं, जिसे www.mohfw.nic.in तथा www.persmin.nic.in वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है और जिसकों संबंधित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ श्री राकेश एस. नायल, अवर सचिव, भारत सरकार (कमरा सं. 752-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड़, नई दिल्ली-110108) को दिनांक 07/11/2014 तक भेज दें। भारत सरकार के पास ऐसे किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी को मानने का विवेकाधिकार होगा जिसने इस समाचार पत्र विज्ञापन के माध्यम से आवेदन नहीं किया हो। भारत

सरकार बिना किसी कारण बताए अध्यक्ष कार्यालय हेतु प्राप्त किसी/या सभी आवेदनों को निरस्त करने का भी अधिकार रखती है।

प्रोफार्मा

खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष पद के लिए नियुक्ति

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. जन्म तिथि (ईस्वी सन् में)
3. पता
   आवासः
   कार्यालयः
4. दूरभाष सं. (आवास/कार्यालय/मोबाइल)
5. फैक्स नं./ई-मेल आई डी
6. शैक्षिक योग्यताः
7. व्यावसायिक योग्यताः-
8. खाद्य सुरक्षा/मानक/गुणवत्ता नियंत्रण में व्यावसायिक/अनुसंधान, यदि होः
9. पुरस्कारों/अन्य राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय सम्मान का विवरण, यदि होः
10. अन्य मुख्य उपलब्धियां:
11. व्यावसायिक निकायों/संगठनों की सदस्यता
12. राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का विवरण जिनमें भाग लिया हो
13. अन्य कोई सूचना

****